03/11/25

पत्रावली पेश/वकील वादी उपस्थित
सुनी गई/ वादी का वाद की स्वीकार
किया जाता है विरुद्ध निर्णय [illegible]
से लिख आदेश पत्रावली दाखिल [illegible]
मय/पत्रावली [illegible] कुमार के [illegible]
[illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible]
दाखिल [illegible]

सहायक [illegible]
मुण्डावर [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
221 / 2021	24.08.2021	03.11.2025

उनवान

1 कमरूदीन उम्र 55 साल पुत्र जुम्मा खां
2 मैना पत्नी रूजदार उम्र 50 साल
3 इमरान उम्र 26 साल पुत्र रूजदार
4 इरफान उम्र 22 साल पुत्र रूजदार
5 मजलिस उम्र 46 साल पुत्र जुम्मा
6 हाकम उम्र 43 साल पुत्र जुम्मा
7 मौसम उम्र 35 साल पुत्र जुम्मा
8 मजीद उम्र 32 साल पुत्र जुम्मा मेव साकिन जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: वादीगण

बनाम

1 बालकिशन पुत्र रामशरण
2 जयकिशन पुत्र रामशरण
3 हरकिशन पुत्र रामशरण
4 मनोज पुत्र रामशरण
5 गजानन्द पुत्र रामशरण
6 लोक विजय पुत्र रामशरण
7 भगवत दयाल पुत्र रामशरण
8 मन्जू उर्फ सुमन पुत्री रामशरण ब्राहमन निवासी जिन्दोली
9 बुधालाल पुत्र नत्थूराम
10 लक्ष्मीनारायण पुत्र नत्थूराम
11 रामचन्दर पुत्र नत्थूराम
12 हीरालाल पुत्र नत्थूराम ब्राहमन निवासी जिन्दोली
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

—: प्रतिवादीगण

दावा:– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 43, 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधि0

....

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03.11.2025

1. वादी का वाद पत्र रहा कि :–

1. यह है कि आराजी हाल ख0 नं0 1400 रकबा 0.25 है. 1648/1399 रकबा 0.06 है, 1650/1420 रकबा 0.20 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.51 है. वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुन्डावर जिला अलवर हकि जो इस वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी ।
2. यह है कि विवादित आराजी मिन वादीगन के पूर्वज जुम्मा पुत्र जोधसिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी रही है जिनके नाम राजस्व रिकोर्डस जमाबंदी मे खातेदारी का अकंन हो रहा है। नकल जमाबंदी हाल सलंग्न है।
3. यह है कि मिनवादीगन के पिता श्री जुम्मा को काफी समय पूर्व धरेलू खर्चा हेतु रकम की जरूरत थी इस कारन उन्होने लक्ष्मी नारायण, रामचन्दर, हीरालाल पुत्रान मुनिया बेवा कन्हैया से रकम उधार ली थी जिन्होने यह कहा था कि आपकी खातेदारी की आराजी को रहन करनी पड़ेगी तो ही रकम उधार देगे। जिस पर अपनी खातेदारी की विवादित आराजी को रहन किया था। उसके बाद वादीगन के पिता ने रहन की रकम अदा कर आराजी को फक करा लिया था ओर स्वयं बतौर खातेदार अपने जीवन काल मे काबिज होकर काश्त करते रहे। और उनकी मत्यू के बाद हम वादीगन लगातार बो शान्तीपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है मौका पर वादीगन का वास्तविक कच्चा है।
4. यह है कि राजस्व रिकोर्डस मे रहन का इन्द्राज हो रहा है हम वादीगन ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ है जिन्हे कानूनी जानकारी नही होने के कारन आराजी का फक कर इन्द्राज राजस्वं रिकोर्डस में नही कराया गया जो आज तक बदस्तूर आ रहा है।
5. यह है कि लक्ष्मी नारायण, बाबूलाल, रामचन्दर व हीरालाल काफी अरसा पूर्व गांव जिन्दोली छोडकर काफी साल पूर्व ही चले गये थे जिनका कोई किसी प्रकार का अता पता नहीं है मर गये या जिन्दा है ओर कौन कौन वारितान है उनका कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। मगर राजस्व रिकॉर्डस मे मुर्तहन का उनके नाम का इन्द्राज हो रहा है जो कानून व मोका की कब्जा काश्त के विपरीत है। प्रति० । लगायत 7 मुनिया के वारिसान है।
6. यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर उसमे दिये गये प्रावधानो के मुताबिक अन्दर मियाद वादीगन के पिता जुम्माखां द्वारा फक कराली गई थी और कानूनन भी रहन की अवधि समाप्त हो चुकी है ऐसी सूरत मे रजस्व रिकॉर्डस में उनका नाम को वादीगन हजफ कराने के अधिकारी है।
7. वो वावादी द्वारा वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया कि –
(अ) डिग्री इजराय दुरुस्ती बहक वादीगन पारित की जाकर आराजी ख0 नं0 1400/0.25, 1648/1399/0.06, 1650/1420/0.20 है किता 3 कुल रकबा 0.51 है। वाळे ग्राम जिन्दोली तहसील मुन्डावर मे खातेदार के बाद का अंकन " रहिन बुधालाल, लक्ष्मीनारायण, रामचन्दर, हीरालाल पुत्रान नत्थूराम 1/2 व मु० मुनिया बेवा कन्हैया 1/2 कोम ब्राहमन सा.देह मुर्तहन का इन्द्राज हजफ कराया जाये। प्रतिवादीगन । लगायत 7 को पावन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी के वादीगन के कब्जा काश्त मे मजाहमत पैदा न करे ना आराजी पर कब्जा करे। अन्य सहायता अता फरमाइ जावे व जुम्मा के स्थान पर वादीगन का नाम खातेदार दरज कराया जावे।

2. दावा दिनांक 24.08.2021 को दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण सम्यक तलबी हुई। बावजूद विधिवत तलवी प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी की ओर से अधिवक्ता धर्मवीर बडसीवाल उपस्थित हुए। जबाब प्रतिवादी नही होने से तनकी अपेक्षित नही रही।
3. वादी ने अपने वाद पत्र के ताहिद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–01, वादी के पिता का मृत्यू प्रमाण पत्र प्रदर्श–02, हाल जमाबन्दी सम्वत् 2078 प्रदर्श–03, हाल जमाबन्दी प्रदर्श–04, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–05 वाके ग्राम जिन्दोली पेश की है, जो शामिल पत्रावली है। मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 वादी कमरूदीन, पीडब्ल्यू–2 ओमप्रकाश, पीडब्ल्यू–3 जुम्मे खान के शपथ पत्र पेश किये गए।
4. वकील वादी के द्वारा लिखित बहस पेश की गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। लिखित बहस मे वकील वादी ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
...(खैरथल–तिजारा)

लिखित बहस :–

- यह है कि आराजी हाल ख० नं0 1719/0.06 हैक्0, 1721/0.02 हैक्0, 1723/0.02 हैक्0, 1724/0.21 हैक्0, 1746/0.20 हैक्०, जिसके साबिक खसरा नम्बर सं0 2029 के अनुसार 1400/0.25 हैक्0, 1648/1399/0.06 हैक्0, 1650/1420/0.20 हैक्०, वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर में स्थित है। उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है। वादीगण का आराजी मुतनाजा पर भौतिक कब्जा है और काश्त कर रहे है।
- यह है कि आराजी वादीगण के आला मौरूसी जुम्मा पुत्र जोधासिंह जाति मेव के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की रही है आला मौरूसी की फौतगी पर आराजी वादीगण को विरासतन प्राप्त हुयी है।
- यह है कि वादीगण के पूर्वज जुम्मा को पारिवारीक खर्च व कृषि कार्य के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर प्रतिवादी के पूर्वजों से उधार में ऋण लिया उक्त ऋण की जमानत के रूप में प्रतिवादी के पूर्वज ने आराजी को रहन कर लिया था वादीगण के पूर्वज ने आराजी राहिन सांकेतिक रूप से केवल रकम की जमानत के तौर पर राहिन किया था।
  - यह है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पूर्वज जुम्मा खुद काश्त करते रहे है प्रतिवादी आराजी मुतनाजा पर काबिज नहीं है ना ही कोई संबंध व सरोकार रहा है वादीगण के पूर्वज ने रकम का भुगतान प्रतिवादी के पूर्वजो को कर दिया था लेकिन वादीगण का पूर्वज अनपढ ग्रामीण परिवेश का भोला भाला काश्तकार था कि उसकी जानकारी नहीं थी कि आराजी के राजस्व रिकोर्ड में आराजी प्रतिवादी के नाम राहिन दर्ज हो रही है और जब रकम का भुगतान कर दिया तो राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी के पूर्वजो के नाम मुर्तहन के रूप में इन्द्राज को हजफ कराना चाहिये एवं वादीगण के पूर्वज जुम्मा ने राहिन करने का कोई दस्तावेज प्रतिवादी के पूर्वजो के पक्ष में तहरीर व तस्दीक नहीं कराया गया था इसके बावजूद भी प्रतिवादी के पूर्वजो ने चालाकी करते हुये उधारी की एवज में बिना किसी दस्तावेज के राजस्व रिकोर्ड में मुर्तहन के रूप में अपने नाम का इन्द्राज खिलाफ मौका व खिलाफ कानून कराया है। वादीगण के पूर्वज ने रकम का भुगतान तो कर दिया लेकिन राजस्व रिकोर्ड को दुरुस्त नहीं कराया जो अभी तक जमाबन्दीयात में अमल होता आ रहा है।
  - यह है कि राहिन की समय सीमा अधिकतम 20 वर्ष है यदि राहिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 लागू होने के बाद रखी गयी है तो धारा 43(2) के अनुसार तो राहिन करते वक्त लिखी गयी समय सीमा में यदि समय सीमा नहीं लिखी गयी है तो अधिकतम पांच वर्ष में राहिन समाप्त हो जाती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को प्रभावशील होने के बाद के संव्यवहार में अधिकतम सीमा पांच वर्ष तय की गयी है चाहे व लिखी गयी शर्त हो चाहे समय सीमा नहीं लिखी गयी हो। राहिन के लिये तय समय सीमा समाप्ती के बाद आराजी राहिन से स्वतः बंधक मुक्त हो जाती है इसलिये आराजी विधिक रूप से बंधक मुक्त हो चुकी है इसके पश्चात भी राजस्व रिकोर्ड से राहिन व मुर्तहन के इन्द्राज बेजा व गैरकानूनी रूप से हो रहे है जो हर सूरत में काबिल दुरूस्ती है।
  - यह है कि प्रतिवादी ने प्रोपर तामील के बाद अदालत में उपस्थित नहीं होकर वादी के वाद को स्वीकार किया है और आराजी को बंधक मुक्त होने के तथ्य को स्वीकार किया है।

5. न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–
   1. वाद पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 1400 रकबा 0.25 है., 1648/1399 रकबा 0.06 है. तथा 1650/1420 रकबा 0.20 है., कुल रकबा 0.51 है. वाके ग्राम जिन्दोली, तहसील मुंडावर, जिला अलवर, मूलतः वादीगण के पूर्वज जुम्मा पुत्र जोधसिंह की खातेदारी भूमि रही है।
   2. साक्ष्यों से यह सिद्ध हुआ कि वादीगण के पूर्वज ने घरेलू आवश्यकता हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए उक्त भूमि को प्रतिवादीगण के पूर्वजों के पास रहन (बंधक) रखा था। वादीगण के पूर्वज द्वारा रहन की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया था तथा वे अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त करते रहे।
   3. प्रस्तुत नकल जमाबन्दियों, मौखिक साक्ष्यों तथा शपथपत्रों से यह भी सिद्ध हुआ कि वादीगण निरंतर भूमि के वास्तविक कब्जे में हैं, एवं भूमि की खेती उन्हीं द्वारा की जा रही है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम मुर्तहन (राहिनधारी) के रूप में दर्ज रहना मौका एवं कानून दोनों के विपरीत है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 43(2) के अनुसार यदि राहिन की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तो राहिन की अवधि अधिकतम पाँच वर्ष मानी जाती है। उक्त अवधि बीत जाने पर भूमि स्वतः बंधक मुक्त मानी जाती है। इस प्रकार विवादित भूमि विधिक रूप से राहिन से मुक्त हो चुकी है।
5. प्रतिवादीगण की विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थिति अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः वाद एक पक्षीय रूप से (Ex Parte) विचाराधीन हुआ।
6. वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य एवं मौखिक बयान विश्वसनीय, संगत एवं विधिक दृष्टि से प्रमाणिक पाए गए। अतः वादी का वाद सत्य सिद्ध हुआ। है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी ने अपने वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। अतः न्यायालय वाद वादी को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। परिणामतः वादी वाद पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

–: आदेश :–

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। विवादित आराजी हाल ख० नं0 1719/0.06 हैक0, 1721/0.02 हैक0, 1723/0.02 हैक0, 1724/0.21 हैक0, 1746/0.20 हैक०, जिसके साबिक खसरा नम्बर सं0 2029 के अनुसार 1400/0.25 हैक0, 1648/1399/0.06 हैक0, 1650/1420/0.20 हैक०, वाके ग्राम जिन्दोली, तहसील मुंडावर, जिला अलवर को लेकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज मुर्तहन/राहिन "बुधालाल, लक्ष्मीनारायण, रामचन्दर, हीरालाल पुत्रान नत्थूराम" एवं "मुनिया बेवा कन्हैया" के नाम का इन्द्राज हजफ किया जाए। वादीगण जुम्मा पुत्र जोधसिंह के वैध उत्तराधिकारी एवं खातेदार माने जाएँ तथा उनके नाम से खातेदारी अधिकार दर्ज किए जाएँ। प्रतिवादीगण या कोई अन्य व्यक्ति वादीगण के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, अन्यथा वादीगण विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेंगे। पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमेआम मे सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
221 / 2021	24.08.2021	03.11.2025

उनवान

1 कमरूदीन उम्र 55 साल पुत्र जुम्मा खां
2 मैना पत्नी रूजदार उम्र 50 साल
3 इमरान उम्र 26 साल पुत्र रूजदार
4 इरफान उम्र 22 साल पुत्र रूजदार
5 मजलिस उम्र 46 साल पुत्र जुम्मा
6 हाकम उम्र 43 साल पुत्र जुम्मा
7 मौसम उम्र 35 साल पुत्र जुम्मा
8 मजीद उम्र 32 साल पुत्र जुम्मा मेव साकिन जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–: वादीगण

बनाम

1 बालकिशन पुत्र रामशरण
2 जयकिशन पुत्र रामशरण
3 हरकिशन पुत्र रामशरण
4 मनोज पुत्र रामशरण
5 गजानन्द पुत्र रामशरण
6 लोक विजय पुत्र रामशरण
7 भगवत दयाल पुत्र रामशरण
8 मन्जू उर्फ सुमन पुत्री रामशरण ब्राहमन निवासी जिन्दोली
9 बुधालाल पुत्र नत्थूराम
10 लक्ष्मीनारायण पुत्र नत्थूराम
11 रामचन्दर पुत्र नत्थूराम
12 हीरालाल पुत्र नत्थूराम ब्राहमन निवासी जिन्दोली
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–: प्रतिवादीगण

दावाः– इस्तरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 43, 88, 89 व 188 राज. काश्तकारी अधि0

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

अन्तिम पर्चा डिक्री

वादी की ओर से **श्री धर्मवीर बडसीवाल** की व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **03.11.2025** को **सृष्टि जैन सहायक कलक्टर, मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। विवादित आराजी हाल ख० नं0 1719/0.06 हैक्0, 1721/0.02 हैक्0, 1723/0.02 हैक्0, 1724/0.21 हैक्0, 1746/0.20 हैक्०, जिसके साबिक खसरा नम्बर सं0 2029 के अनुसार 1400/0.25 हैक्0, 1648/1399/0.06 हैक्0, 1650/1420/0.20 हैक्०, वाके ग्राम जिन्दोली, तहसील मुंडावर, जिला अलवर को लेकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज मुर्तहन/राहिन "बुधालाल, लक्ष्मीनारायण, रामचन्दर, हीरालाल पुत्रान नत्थूराम" एवं "मुनिया बेवा कन्हैया" के नाम का इन्द्राज हजफ किया जाए। वादीगण जुम्मा पुत्र जोधसिंह के वैध उत्तराधिकारी एवं खातेदार माने जाएँ तथा उनके नाम से खातेदारी अधिकार दर्ज किए जाएँ। प्रतिवादीगण या कोई अन्य व्यक्ति वादीगण के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे, अन्यथा वादीगण विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेंगे। पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आज तारीख **03-11-2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सृष्टि जैन) कलक्टर (फा०ट्रे०)
सहायक कलक्टर (खैरथल–तिजारा)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)